

कार्यालय :- प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

‘भोजनादि व्यवस्था एवं साफ सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु निविदा का आमंत्रण’

निविदा सूचना संख्या 01/ 2020-21

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में संचालित होने वाले प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले कृषकों / अन्य क्षेत्रीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को भोजनादि व्यवस्था एवं साफ सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु निबंधित एवं अनुभवी संस्थान / आपूर्तिकर्ता से निविदा का आमंत्रण :-

क्र० सं०	कार्य	विवरण
1	कार्य विवरण	कृषकों / अन्य क्षेत्रीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान भोजनादि व्यवस्था एवं साफ सफाई व्यवस्था
2	कार्य का व्योरा	- प्रशिक्षणार्थियों के लिये चाय, नास्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन - छात्रावास भवन, कमरे, शौचालय, कैंटीन आदि की सफाई - छात्रावास भवन के कमरों के बिस्तर का चादर, तकिया खोल, कम्बल आदि की धुलाई - छात्रावास / कैंटीन में बिजली की साधारण / सामान्य देखरेख एवं मरम्मत
3	कार्य की अवधि	प्रशिक्षण की अवधि तक
4	निविदा प्रकाशन की तिथि	06 अक्टूबर 2020
5	परिमाण विपत्र का मूल्य	रु० 2500/- (दो हजार पाँच सौ) का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा PRINCIPAL EXTENSION TRAINING CENTRE के पदनाम से निर्गत एवं RANCHI में भूगतेय होगा। (Non-refundable)
6	अग्रधन की राशि	रु० 50000/- (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा PRINCIPAL EXTENSION TRAINING CENTRE के पदनाम से निर्गत एवं RANCHI में भूगतेय होगा।
7	निविदा पत्र कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	26 अक्टूबर 2020 03.00 बजे अपराह्न तक
8	निविदा प्रस्ताव जमा करने की तिथि एवं समय	26 अक्टूबर 2020 05.00 बजे अपराह्न तक
9	निविदा पत्र खोलने की तिथि एवं समय	27 अक्टूबर 2020 03.00 बजे अपराह्न
10	निविदा पत्र प्राप्त करने, जमा करने एवं खोलने का स्थान	कार्यालय, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हेहल, राँची - 834005

तकनीकी बीड की शर्त :-

1. चयनित निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता को प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित मेनु के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को चाय, नास्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन तथा छात्रावास की साफ-सफाई आदि व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदा समर्पित करने वाले संस्थान / आपूर्तिकर्ता का पिछले तीन वित्तीय वर्ष में औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 20 लाख रुपये का होना अनिवार्य है। जिसके समर्थन में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अर्कक्षित स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. निविदा समर्पित करने वाले संस्थान / आपूर्तिकर्ता को अग्रधन की राशि के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत 500000.00 (पचास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो PRINCIPAL EXTENSION TRAINING CENTRE payable at RANCHI होगा, प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। संस्थान / आपूर्तिकर्ता के चयनोपरांत चयनित संस्थान द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि को जमानत राशि के रूप में कार्यालय द्वारा रख लिया जायेगा जिसे संतोषप्रद कार्य एवं एकरारनामा समाप्ति के उपरांत बिना किसी बैंक ब्याज के वापस किया जायेगा।
4. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात असफल बीडर का अग्रधन बिना किसी बैंक ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
5. परिमाण विपत्र का कय मूल्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो PRINCIPAL EXTENSION TRAINING CENTRE payable at RANCHI होगा, प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. जमा की गयी परिमाण विपत्र का मूल्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता को झारखंड सरकार वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। उन्हें वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत GST पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। GST और PAN निविदादाता संस्थान के मामले में संस्थान का और आपूर्तिकर्ता के मामले में आपूर्तिकर्ता का होना चाहिए।
8. झारखंड सरकार, श्रम विभाग द्वारा निर्गत लेबर लाइसेंस (Labour Licence) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता को संबंधित कार्य करने का झारखंड के नगर निगम में पंजीकरण का कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता को झारखंड से प्राप्त फुड लाइसेंस का कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता को पिछले दो वर्षों का दाखिल GST रिटर्न एवं पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न जमा करने का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता को झारखंड में किसी सरकारी / गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में भोजन आपूर्ति करने संबंधित कम से कम तीन वित्तीय वर्षों का निर्विवाद कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है जिसके समर्थन में आपूर्तिकर्ता को संबंधित संस्थान द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता को केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के किसी भी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद के तिथि का प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

वित्तीय बीड की शर्तें :-

1. तकनीकी बीड में निहित आहर्ता को पुरा करने वाले निविदादाता संस्थानों / आपूर्तिकर्ताओं का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
2. प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित मेनु के अनुरूप ही संबंधित निविदा समर्पित करने वाले निविदादाताओं द्वारा वित्तीय बीड में उसका दर (एवं उसपर अनुमान्य सभी कर अलग-अलग) अंकित किया जायेगा।
3. निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता को केवल एक दर उद्धृत करना होगा अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. दर की तुलना प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी के भोजन के कुल दर के आधार पर किया जायेगा।

सामान्य निर्देश :-

1. संस्थान / आपूर्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में फर्जी अथवा बनावटी (Manipulated) पाये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता संस्थान का निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
2. चयनित संस्थान / आपूर्तिकर्ता को प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित मेनु के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, शुद्ध एवं ताजा भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी स्तर से आपूर्ति किये जा रहे भोजन सामग्रियों की गुणवत्ता में शिकायत अथवा निम्न कोटि के पाये जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता संस्थान को एक सप्ताह के पूर्व नोटिस पर उनकी सेवा समाप्त करने, अग्रधन की राशि जब्त करने तथा अनुमोदित दर (LI) पर अन्य संस्थान / आपूर्तिकर्ता से कार्य कराने का अधिकार प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची को रहेगा।
3. बर्तन, उच्च कोटि का कच्चा माल, गैस, सफाई और खान पान कर्मचारियों सहित खाना बनाने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की व्यवस्था एवं खरीद के लिए संस्थान / आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार होगा।
4. कैटीन, छात्रावास, कमरों तथा शौचालय (Phenyl, Toilet cleaner के साथ) की पूर्ण साफ-सफाई दैनिक, चादर, तकिया खोल की धुलाई सप्ताहिक तथा कम्बल आदि की धुलाई मासिक, रूप से करने की जिम्मेदारी चयनित संस्थान / आपूर्तिकर्ता की होगी।
5. चयनित संस्थान / आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराना तथा छात्रावास, कैटीन में बिजली की सामान्य / साधारण देखरेख एवं मरम्मत करनी होगी।
6. निविदा का प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में प्राप्त किया जायेगा। निविदा दो लिफाफे पद्धति के अनुसार प्राप्त की जायेगी एक लिफाफे में तकनीकी बीड तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बीड होगा दोनों लिफाफे को अलग-अलग मुहर बन्द कर उसे एक तीसरे लिफाफे में डालकर उसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
7. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात अथवा ई मेल/ फैंक्स से निविदा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा खोलते समय निविदा दाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति रहेंगे।
9. किसी भी सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता संस्थान / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त निविदा के आधार पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
11. प्राप्त प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची को सुरक्षित रहेगा।

12. कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए प्रशासन के सभी आवश्यक निर्देशों एवं सावधानियों का चयनित संस्थान / आपूर्तिकर्ता को पालन करना होगा।
13. यदि किसी प्रशिक्षण की अवधि अगले वित्तीय वर्ष में भी चला जाता है तो कार्यरत संस्थान / आपूर्तिकर्ता ही उस प्रशिक्षण अवधि तक कार्य करेंगे


प्रचार

 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
हेहल राँची।

(लेटर हेड में)

तकनीकी बीड

सेवा में,

प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,

हेहल, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में संचालित प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले कृषकों / अन्य क्षेत्रीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को भोजनादि एवं साफ सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी बीड -

क्रम सं०	विवरणी	आपूर्तिकर्ता द्वारा भरा जाय
1	आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	
2	GST पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र	
3	आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नं० (PAN Number) का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र	
4	GST रिटर्न का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र (पिछले दो वर्षों का)	
5	Income Tax रिटर्न का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र (पिछले तीन वर्षों का)	
6	वार्षिक टर्न ओवर (औसत वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन वर्षों का, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अर्कक्षित स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र)	
7	लेबर लाइसेंस (Labour Licence) झारखंड सरकार, श्रम विभाग द्वारा निर्गत स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र	
8	झारखंड के नगर निगम में संबंधित कार्य करने का पंजीकरण का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र	
9	झारखंड से प्राप्त फुड लाइसेंस का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र	
10	समग्र अनुभव सरकारी / गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में भोजन आपूर्ति का कम से कम तीन वित्तीय वर्षों का अनुभव का संबंधित संस्थान द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति	
11	परिमाण विपत्र का मूल्य का विवरण (राशि, बैंक ड्राफ्ट सं०, बैंक, शाखा, दिनांक)	
12	अग्रधन की राशि का विवरण (राशि, बैंक ड्राफ्ट सं०, बैंक, शाखा, दिनांक)	

आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर मुहर के साथ

नाम/ पता / मो० नं० / दिनांक

(लेटर हेड में)
वित्तीय बीड -1

सेवा में,

प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
हेहल, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में संचालित प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले क्षेत्रीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को भोजनादि व्यवस्था (साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराने का वित्तीय बीड: -

क्र०	भोजनादि का विवरण	राशि (प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी)	कर (यदि कोई हो तो)	कुल राशि (अंक एवं शब्द में)
1	सुबह का चाय - चाय एक कप, बिस्कुट दो पीस।			
2	सुबह का नास्ता - कचौड़ी -छः पीस, सब्जी या छोला / पराठा चटनी या पराठा दही - 4 पीस / इडली या बाड़ा - 4 पीस, सांभर एवं चटनी / कबली चना का छोला, भटूरा- 2 पीस एवं चटनी ।			
3	दोपहर का भोजन - बुफे सिस्टम, कुछ मद सिमित • प्लेन राईस / पुलाव/ जीरा फाईड राईस • चपाती / पराठा • अरहर दाल / चना दाल / दाल मखानी इत्यादि। • हरा सब्जी • सुखा सब्जी • मीठा 2 पीस • दही / रायता/ दही बड़ा (100 ग्राम) इत्यादि । • सलाद, पापड़, अचार इत्यादि। • पनीर का सब्जी / ननभेज का मेनु (मछली / मटन / चिकन -4 पीस) (सप्ताह में 2 दिन)			
4	शाम का नास्ता - चाय एक कप, बिस्कुट दो पीस।			
5	रात का भोजन - बुफे सिस्टम, कुछ मद सिमित • चपाती / पराठा • हरा सब्जी • सुखा सब्जी • खीर/ सेवई (100 ग्राम) • सलाद, पापड़, अचार इत्यादि।			
कुल दर -				

पैक पीने का पानी, आईस्क्रीम, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि के मामले में मुद्रित दर पर आपूर्ति की जायेगी।

आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर मुहर के साथ

नाम/ पता / मो० नं० / दिनांक

(लेटर हेड में)
वित्तीय बीड -2

सेवा में,

प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
हेहल, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में संचालित प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले कृषक प्रशिक्षणार्थियों को भोजनादि व्यवस्था (साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराने का वित्तीय बीड -

क्र०	भोजनादि का विवरण	राशि (प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी)	कर (यदि कोई हो तो)	कुल राशि (अंक एवं शब्द में)
1	सुबह का चाय - चाय एक कप, बिस्कुट दो पीस।			
2	सुबह का नास्ता - पुड़ी या कचौड़ी 6 पीस, छोला:- चना / काबली चना / मटर			
3	दोपहर का खाना - बुफे सिस्टम चावल, दाल, हरा सब्जी, सुखा सब्जी, पापड़, आचार, सलाद, मिठाई 1 पीस			
4	शाम का नास्ता - चाय एक कप, बिस्कुट दो पीस।			
5	रात का खाना -बुफे सिस्टम रोटी, चावल, दाल, हरा सब्जी, आचार, पापड़, सलाद			
कुल दर -				

आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर मुहर के साथ
नाम/ पता / मो० नं० / दिनांक